न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4042/2006/अजमेर

1— उदा पुत्र बज्जा जाति कहार, निवासी ग्राम गुलगांव, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर (मृतक जरिये वारिसान)

1/1 मोहनी पुत्री उदा पत्नी लादू (मृतक जरिये वारिसान)

1/1/1 लाडा पुत्री लादू पत्नी मनोहर जाति कहार निवासी उंदरी तहसील केकडी जिला अजमेर।

1/1/2 मांगीलाल पुत्र लादू जाति कहार निवासी बदनपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— श्रीमती नोसी पत्नी रामपाल जाति कहार, निवासी ग्राम गुलगांव, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

2— शोकिनाराम पुत्र रामनिवास, जाति मीणा, निवासी नयागांव, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

3— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थित :

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी

दिनांकः— 11.12.2025

निर्णय

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28—04—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी उदा ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुलगांव की आराजी खसरा नंबर 429, 937, 1148/3 कुल रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलार्थी तथा

प्रत्यर्थी संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि है जिसमें अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा व प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है, परंतु अपीलार्थी के पिता की मृत्यु पश्चात संपूर्ण भूमि अपीलार्थी के बड़े भाई छोगा के नाम दर्ज हो गयी तथा वर्तमान में यह प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वाद में प्रस्तुत सजरा परिवार अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 छोगा के पुत्र रामपाल की विधवा है। अपीलार्थी उदा द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में स्वयं का 1/2 हिस्सा दर्ज करने का अनुतोष विचारण न्यायालय से चाहा गया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। दौराने दावा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने खसरा नंबर 937 तथा 1148 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 को विक्रय कर दिया जाने से क्रेता को दावे में प्रतिवादी बनाया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब दावे के आधार पर दादरसी सहित कुल 5 तनकीयात कायम की गई। बाद साक्ष्य व सुनवाई विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26–04–2004 द्वारा अपीलार्थी वादी का वाद खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–04–2006 से अपील खारिज कर दी। उक्त दोनों निर्णयों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– प्रत्यर्थीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजे गये लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड से परे हैं। छोगा अपीलार्थी का बड़ा भाई एवं परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण छोगा व अपीलार्थी उदा के पिता बज्जा की मृत्यु पश्चात संपूर्ण आराजीयात छोगा के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि छोगा व उदा दोनों के नाम 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। छोगा की मृत्यु के पश्चात रामपाल व रामपाल की मृत्यु पश्चात संपूर्ण आराजीयात रामपाल की बेवा प्रत्यर्थी प्रतिवादी नोसी के नाम दर्ज हो गयी। अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जमाबंदी इस्तमरार फसली 1358 प्रस्तुत की गई है जिसके कॉलम नंबर 6 में भूमि कदीमी पुश्तैनी दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी संपत्ति होने से अपीलार्थी का इसमें 1/2 हिस्से बनता है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा दावे में जमाबंदी भूमि एकीकरण, मिलान क्षेत्रफल, 1364 फसली, जमाबंदी संवत् 2022, जमाबंदी संवत् 2018 व पी.डब्ल्यू 1, पी. डब्ल्यू 2 के मौखिक बयान पेश किए गये, जिनसे वादी का

दावा साबित होता है। वादग्रस्त आराजीयात पैतृक है तथा अपीलार्थी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात को स्वःअर्जित संपत्ति होना सिद्ध नहीं कर पायी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक सिद्धांतों को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है इसलिए निर्णयों का समवर्ती होने पर भी प्रत्यर्थी को कोई लाभ देय नहीं है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जाकर द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ संलग्न रिकॉर्ड का गहनता से आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6— अपीलार्थी वादी उदा पुत्र बज्जा ने दावे में विवादित भूमि का पुश्तैनी होने तथा बज्जा की मृत्यु उपरांत समस्त भूमि उसके बड़े पुत्र छोगा के नाम दर्ज होना जाहिर कर वादी छोगा का भाई होने व भूमि में उसका आधे हिस्से पर कब्जा काश्त होने के आधार पर भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ 1/2—1/2 हिस्से की घोषणा चाही है। प्रत्यर्थी संख्या 1 नोसी छोगा के पुत्र रामपाल की विधवा है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार भूमि पूर्व में छोगा, छोगा के पश्चात रामपाल तथा रामपाल की मृत्यु के बाद नोसी की नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई। भूमि का पुश्तैनी होने के क्लेम के समर्थन में प्रस्तुत मुख्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श—9 इस्तमरार फसली 1358 में भी भूमि का स्वामित्व छोगा का ही दर्ज होने से वादी का आधार साबित नहीं है। दावे में भूमि बज्जा के नाम दर्ज होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने से अपीलार्थी का दावा प्रमाणित नहीं होता है। दूसरी ओर भूमि का छोगा के स्वामित्व की होकर पश्चातवर्ती रूप से प्रत्यर्थी नोसी की खातेदारी में कानूनन दर्ज होने की ताईद होती है। प्रत्यर्थी नोसी ने कुछ भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 शोकिनाराम को विक्रय की है तथा उसे सद्भावी क्रेता न मानने का अपीलार्थी के पास कोई विधिसम्मत आधार नहीं है। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य लेते हुये स्पष्ट तनकीवार विवेचन के साथ दावा साबित होना नहीं माना है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में साक्ष्यों से विवादित आराजीयात अपीलार्थी की पुश्तैनी भूमि प्रमाणित न होने पर स्पष्ट एवं पुष्ठ विश्लेषण किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निश्कर्ष के साथ निर्णय दिया है जिनमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई क्षैत्राधिकार निर्वहन, तथ्यपरक अथवा विधिक त्रुटि होना नहीं मानते हैं, अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज योग्य है।

7— अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप प्रस्तुत अपील सारहीन होकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा प्रदत्त निर्णय यथावत रखे जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष